निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : **540/2025** (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

चन्दाराम पुत्र थाना जाति मीणा, निवासी माथासूला, आंधी, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी, सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर,
2. रामनाथ पुत्र थाना,
3. कैलाश पुत्र थाना,
4. शंकर पुत्र थाना,
5. बिरदी पत्नी थाना,
6. मंगाल राम पुत्र जीवण,
7. रामफूल पुत्र जीवण,
8. लालाराम पुत्र जीवण,

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम माथासूला, जमवारामगढ़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 10/2024 ब उनवानी चंदा राम व अन्य बनाम रामनाथ व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:—

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री सचिन शर्मा, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 04.09.2025**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 10/2024 ब उनवानी चंदा राम व अन्य बनाम रामनाथ व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 8 की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी ने वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में दिनांक 03.06.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाई। उपरोक्त वाद पत्र में तीनों बार कुर्रेजात रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी के प्रभाव के चलते अलग–अलग कब्जे की पटवारी हल्का द्वारा बनाकर भिजवाई गई है। तीनों बार ही प्रार्थी ने उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट मे दो बार आपत्ति लगाकर उनको

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

निरस्त करवाया। अप्रार्थीगण राजनैतिक पहुंच वाले लोग है, जो कि अपने राजनैतिक प्रभाव के चलते पीठासीन अधिकारी को प्रभाव, प्रलोभन में लेकर उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आगामी तारीख पेशी पर ऐन केन प्रकारेण खारिज करवाने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नही है, अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 8 के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी ने जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब कारित करने की मन्शा से झूंठे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर के पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए अंकित किया गया है कि सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि अनुसार ही कार्यवाही की जा रहीं हैप्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जमवारामगढ़, जिला जयपुर को जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर